07/4/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पाठ परिगणना निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS 2017/00141

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

बइजलाशः—श्रीमान भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस

प्रकरण सं0ः—227/2017 GCMS:-2017/00141

दायरा दिनांकः—08.11.2017

1. गणेश सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. राम सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

............वादीगण

बनाम

1. सतपाल सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. हनुमान सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. चतर सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
4. रणजीत सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
5. महावीर सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
6. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल चांडक, अभिभाषक वादीगण
2. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक प्रति0 नं0 1 से 5
3. श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 07/04/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रतासर खाता नं0 154/173 खसरा नं0 267/1.505 है0, 602/450 402/450 में 3.416 है0, 449/7.021 है0, 450/2.161 है0, 599/449 में 3.289 है0, 600/449 में 4.301 है0, 601/450 में 2.972 है0, 601/450 में 2.972 है0 कुल 24.655 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के दादा स्व0 श्री चुनीसिंह के नाम से थी। स्व0 चुनीसिंह के देहान्त पश्चात् उक्त रकबा उनके सात पुत्रगणो के नाम से बं0हि0ब0 दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के पिता बन्ने सिंह का उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा विरासतन बनता हैं। जमाबंदी सम्वत् 2067 से 70 खाता नं0 154/173 शामिल पत्रावली हैं। श्री बन्ने सिंह क देहान्त दिनांक 26[illegible] को हो [illegible] मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली हैं। स्व0 बन्ने सिंह की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] के न[illegible] की भूमि परिवार की व्यवस्था के अनुसार पूर्व की भांति उनके सात पुत्रो के नाम से बं0हि0ब0 दर्ज [illegible] चाहिये थी। उक्त पैतृक भूमि केवलमात्र प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व एक स्व0 पुत्र [illegible] सही तथ्यो को छिपाकर गलत एवं विधि विरूद्ध हुआ होने के कारण निरस्तनीय है।

............लगातार 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

अब मृतक देवीसिंह का हिस्सा भूमि उसके नाम से रिकार्ड से कलमजन करके उसके हिस्से की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिये। वादीगण ने प्रतिवादीगण से अनेको बार निवेदन किया कि वादाधीन पैतृक कृषि भूमि में उनके 1/7–1/7 हक व हिस्सा की भूमि का उनके नाम अंकन करा देवें। अन्त में दिनांक 10.10.2017 को ग्राम रतासर में ऐसा करने से स्पष्ट इंकार हो गये। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 10.10.2017 को प्रतिवादीगण के द्वारा इंकारी पर पैदा हुआ हैं। अतः वादपत्र स्वीकार कर मुताबिक वाद पत्र वाद डिक्री किया जावें।

वादपत्र पेश होने पर रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक हाजिर आकर दिनांक 30.07.2018 को जबाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली हैं। वादीगण की ओर से दिनांक 15.10.2018 को को जबाबुल जबाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी देवीसिंह की मृत्यु होने पर संशोधित वादपत्र दिनांक 02.02.2021 पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली हैं। जिसका जबाब प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06.05.2022 को पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं जबाब दावा, प्रतिदावा, जबाबुल जबाब के आधार पर दिनांक 14.10.2019 को आठ तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

1. आया वादीगण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहें वादाधीन रकबा वाके ग्राम रतासर की खाता नं0 154/173 के ख0न0 267 में 1.505 है0, 602/450, 402/450 में 3.416 है0, 449 में 7.021 है0, 450 में 2.161 है0, 599/449 में 3.289 है0, 600/449 में 4.301 है0, 601/450 में 2.972 है0 इस प्रकार कुल 7 खसरो में स्थित 24.655 है0 भूमि जो कि केवल प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के नाम अंकित हैं उस अवैध एवं गलत इन्द्राज को निरस्त करवाने की घोषणा करवाने के हकदार है? ....वादीगण
2. आया वादीगण वादाधीन पैतृक कृषि भूमि में मृतक श्री बन्नेसिंह के समस्त पुत्रो वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का हक व हिस्सा ब0हि0ब0 होने की घोषणा करवाने के कानूनन हकदार हैं? ....वादीगण
3. आया वादीगण वादाधीन रकबा की बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है। ....वादीगण
4. आया स्व0 श्री चुनीसिंह की मृत्यु हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व होने के कारण स्व0 श्री बन्नेसिंह को मिली सम्पति उसकी स्वअर्जित सम्पति है? ....प्रतिवादी नं0 1 ता 6
5. आया वादाधीन रकबा स्व0 श्री बन्नेसिंह की स्वअर्जित सम्पति थी, जिसकी वसीयत करने हेतु स्व0 बन्नेसिंह कानूनन हकदार था, दिनांक 10.10.2007 को प्रतिवादीगण 1 ता 6 के हक में निष्पादित वसीयत के फलस्वरूप वादीगण हक व हिस्सा पाने के हकदार नही हैं एवं वसीयत को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। ....प्रतिवादी नं0 1 ता 6
6. आया प्रतिवादी नं0 4 ता 6 ने अपना हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 06.10.2017 को श्री राकेश, श्री सुरेश पि0 श्री अन्नाराम जाति जाट को बैय कर दी हैं, जिन्हे वादपत्र में पक्षकार नही बनाये जाने के कारण दावा वादीगण खारीज योग्य हैं? ....प्रतिवादी नं0 1 ता 6
7. आया ग्राम रतासर खाता नं0 137 [illegible] 448 [illegible] 70 है0 में से 14.734 है0 में से अपना 1.265 है0 रकबा वादी गणेशसिंह जरिये वसीयत दिनांक [illegible].10.[illegible]7 द्वारा प्राप्त कर चुका हैं, अतः अब कोई हिस्सा वादीधीन भूमि में से पाने का वादी गणेशसिंह हक[illegible] नही हैं?
8. आया अपने हिस्सा से अधिक भूमि को [illegible] जा सकती हैं? ....प्रतिवादी नं0 1 ता 6
9. अनुतोष। ....वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 14:22:58 IST
Reason: SelfAttested

............लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं0 1 ता 3 व 8 को साबित करने का भार वादीगण पर था एवं तनकी नं0 4 ता 7 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी कायम होने पर वादीगण की ओर से स्वयं गणेश सिंह PW-1, राम सिंह PW-2 के ब्यान शामिल किये गये एवं प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादी नं0 1 सतपाल सिंह DW-1, प्रतिवादी नं0 2 हनुमान सिंह DW-2, प्रतिवादी नं0 3 चतर सिंह DW-3, प्रतिवादी नं0 4 रणजीत सिंह DW-4 के ब्यान शामिल किये गये।

दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। वादीगण ने अपने वादपत्र के कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाके ग्राम रतासर खाता नं0 154/173 खसरा नं0 267/1.505 है0, 602/450 402/450 में 3.416 है0, 449/7.021 है0, 450/2.161 है0, 599/449 में 3.289 है0, 600/449 में 4.301 है0, 601/450 में 2.972 है0, 601/450 में 2.972 है0 कुल 24.655 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के दादा स्व0 श्री चुनीसिंह के नाम से थी। स्व0 चुनीसिंह के देहान्त पश्चात् उक्त रकबा उनके सात पुत्रगणो के नाम से बं0हि0ब0 दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के पिता बन्ने सिंह का उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा विरासतन बनता हैं। जो कि पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती हैं। स्व0 बन्ने सिंह की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज उनके नाम की भूमि परिवार की व्यवस्था के अनुसार पूर्व की भांति उनके सात पुत्रो के नाम से बं0हि0ब0 दर्ज होनी चाहिये थी। उक्त पैतृक भूमि केवलमात्र प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व एक स्व0 पुत्र देवीसिंह के नाम से अंकन सही तथ्यो को छिपाकर गलत एवं विधि विरूद्व हुआ होने के कारण निरस्तनीय हैं। अब मृतक देवीसिंह का हिस्सा भूमि उसके नाम से रिकार्ड से कलमजन करके उसके हिस्से की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिये। अतः वादपत्र स्वीकार कर मुताबिक वाद पत्र वाद डिक्री किया जावें। पुष्टि में RBJ 2007 Page 263, DNJ 2017 (3) Raj Page 1255, RRT 2009 (1) Page 685 (SC), RRT 2016 (2) Page 1442, DNJ 2021 (2) Page 964 न्यायिक निर्णय पेश किये। वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल पत्रावली हैं।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावा, प्रतिदावा के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र रोही रतासर के खाता नं0 154/173 की कुल 24.655 है0 भूमि में स्व0 बन्नेसिंह के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा की बाबत प्रस्तुत किया गया हैं। वादीगण द्वारा जैरवाद रकबा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा स्व0 श्री चुनीसिंह के नाम होना एवं उनके देहान्त पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण के स्व0 पिता बनेसिंह पुत्र श्री चुनीसिंह के नाम से विरासतन दर्ज होना दर्शित किया है। परन्तु वादीगण द्वारा अपने इस कथन की पुष्टि में स्व0 चुन्नीसिह की खातेदारी भूमि का कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया है। पैतृक सम्पति को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर पैतृक सम्पति घोषित नही की जा सकती। जैरवाद रकबा स्व0 श्री बन्नेसिंह का स्वअर्जित रकबा था, स्व0 बन्नेसिंह अपने जीवनकाल में जैरवाद रकबा को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने हेतु सक्षम था। वादीगण स्व0 श्री बन्नेसिंह की पहली पत्नी के सन्तान है। स्व0 बन्नेसिंह द्वारा पने जीवनकाल में अपनी पहली पत्नी कें वारिसो के हितो के साथ कोई खिलवाड़ हो इसलिये उन्होने वादी नं0 1 गणेशसिंह को रोही रतासर के खाता नं0 49 में 4.438 है0 भूमि एवं वादी नं0 [illegible] को रोही रतासर खाता नं0 219 में 13.093 है0 भूमि अलग से बना कर दे रखी है। जमाबं[illegible]0 49 व 219 पेश की चुकी हैं। अतः अब जैरवाद रकबा में कोई हक व हिस्सा [illegible] स्व0 बन्नेसिंह द्वारा अपने स्वअर्जित जैरवाद रकबा के साथ इसी रोही रतासर की 14.734 है0 भूमि [illegible] वसीयत दिनांक 10.10.2007 को प्रतिवादीगण एवं वादी नं0 1 के हक में [illegible] के देहान्त पश्चात् उक्त खातेदारी भूमि का इन्तकाल नं0 712 दिनांक 29.09.2017 को प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व मृतक पुत्र देवीसिंह के नाम से दर्ज हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:58 IST
Reason: SelfAttested

............लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इन्तकाल नं0 712 के खिलाफ वादीगण द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी चाराजोई नही की है। इन्तकाल नं0 712 का इन्द्राज जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 की जमाबंदी में दर्ज हो चुका है। कब्जा प्रतिवादीगण के पास वसीयत अनुसार है। वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती आज तक नही दी है। आज भी वसीयत प्रभावी है। नियमानुसार वसीयत को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो चुका है। वसीयत को निरस्त करवाने से पूर्व वादीगण कोई हक व हिस्सा जैरवाद रकबा में पाने के अधिकारी नही है। वसीयत निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। एक बार वसीयत तस्दीक होने पर वसीयत शुदा भूमि पर हिन्दू विधि की धारा 8 लागू नही होती है अर्थात वसीयत शुदा भूमि पर विरासतन के नियम लागू नही होते है। वसीयत दिनांक 10.10.2007 के आधार पर प्रतिवादीगण के हक में इन्द्राज के आधार प्रतिवादी नं0 4, 5 व मृतक पुत्र देवीसिंह द्वारा अपना हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 06.10.2017 द्वारा क्रेता श्री राकेश, श्री सुरेश पि0 श्री अमराराम जाति जाट निवासी रतासर को बेचान कर दिया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद क्रेतागण श्री राकेश व श्री सुरेश पि0 श्री अमराराम के नाम से दर्ज हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में स्व0 श्री चुनीसिंह के समस्त पुत्रो व व भूमि के खरीददारान श्री राकेश व श्री सुरेश को वादपत्र में पक्षकार बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। जिन्हे पक्षकार नही बनाया गया हैं। मृतक पुत्र देवीसिंह द्वारा अपना हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 06.10.2017 द्वारा श्री राकेश व श्री सुरेश को बेचान करने व उनको कब्जा सौपने के बाद बिना बैयनामा दिनांक 06.10.2017 व वसीयत दिनांक 10.10.2007 को निरस्त करवाये मृतक के हिस्से की भूमि की बाबत कोई अनुतोष वादीगण पाने के हकदार नही हैं। बैयनामा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त पैतृक सम्पति पर लागू होते हैं जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वअर्जित सम्पति की बाबत पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होते है। वादीगण स्वअर्जित सम्पति पर कोई हक व हिस्सा पाने के कानूनन अधिकारी नही है। अतः वादपत्र वादीगण खारीज फरमाया जावें। पुष्टि में RBJ 2018 Page 1, RBJ 2019 Page 759, RRD 2018 Page 101, RBJ 2018 Page 718 न्यायिक निर्णय पेश किये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल पत्रावली हैं।

दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली एवं उसमें शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद दस्तावेज अवलोकन तनकीयात का क्रमबद्व विवेचना की गई जो कि निम्न प्रकार से हैं:—

विवादक संख्या एकः— आया वादीगण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहें वादाधीन रकबा वाके ग्राम रतासर की खाता नं0 154/173 के ख0न0 267 में 1.505 है0, 602/450, 402/450 में 3.416 है0, 449 में 7.021 है0, 450 में 2.161 है0, 599/449 में 3.289 है0, 600/449 में 4.301 है0, 601/450 में 2.972 है0 इस प्रकार कुल 7 खसरो में स्थित 24.655 है0 भूमि जो कि केवल प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के नाम अंकित हैं उस अवैध एवं गलत इन्द्राज को निरस्त करवाने की घोषणा करवाने के हकदार है?

वादीगण पर इस विवादक संख्या प्रथम को साबित करने का भार था। वादीगण ने इस विवादक की पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 पेश की हैं जो Exp-1 है। जिसमें स्व0 बन्ने सिहं के नाम से 1/7 हिस्सा दर्ज हैं एवं उसके बाद अन्तरित भाग में जैर वाद रकबा प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के नाम दर्ज हैं। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया कि प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के नाम से रोही रतासर के खाता नं0 154/173 की 24.655 है0 भूमि का इन्द्राज [illegible] से अवैध एवं गलत हैं। मात्र मौखिक कथनो के आधार पर राजस्व रिकार्ड में [illegible] नही किया जा सकता हैं। विवादक संख्या 1 वादीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः विवादक संख्या 1 विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती हैं।

............लगातार 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:58 IST
Reason: SelfAttested

विवादक संख्या दो :– आया वादीगण वादाधीन पैतृक कृषि भूमि में मृतक श्री बन्नेसिंह के समस्त पुत्रो वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का हक व हिस्सा ब0हि0ब0 होने की घोषणा करवाने के कानूनन हकदार हैं?

उक्त विवादक को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इस विवादक की पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 पेश की हैं जो Exp-1 है। जिसमें स्व0 बन्ने सिहं के नाम से 1/7 हिस्सा दर्ज हैं। परन्तु उक्त भूमि स्व0 चुनीसिंह के नाम से थी एवं विरासतन उक्त भूमि स्व0 बने सिंह को प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया हैं। इसलिये जमाबंदी के अवलोकन से उक्त भूमि बन्नेसिंह की स्वअर्जित होना प्रतित होती हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पैतृक सम्पति पर लागू होते हैं। जबकि पैतृक सम्पति साबित करने के अभाव में उक्त सम्पति स्वअर्जित श्रेणी में आती हैं। अतः विवादक संख्या 2 वादीगण साबित करने में असफल रहें हैं। अतः विवादक संख्या 2 विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती हैं।

विवादक संख्या तीन :– आया वादीगण वादाधीन रकबा की बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है ?

विवादक संख्या तीन को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा इस तनकी को साबित करने हेतु कब्जा होने का कोई दस्तावेज गिरदावरी वगैरा पेश नही किया हैं एवं ना ही स्वयं द्वारा प्रस्तुत ब्यानो में स्वयं का कब्जा दर्शित किया हैं। जबकि प्रतिवादीगण मौका पर खातेदार कृषक हैं। राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारो के खिलाफ विपरीत साक्ष्य नही पाये जाने पर कब्जा खातेदारो का ही माना जाता हैं। ऐसी स्थिति में विवादक संख्या 3 को साबित करने में वादीगण असफल रहे है। अतः विवादक सं0 3 विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती हैं।

विवादक सं0 चारः– आया स्व0 श्री चुनीसिंह की मृत्यु हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व होने के कारण स्व0 श्री बन्नेसिंह को मिली सम्पति उसकी स्वअर्जित सम्पति है?

इस विवादक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को साबित करने के लिये वादीगण द्वारा अपने ब्यानो में जिरह के दौरान स्वीकार किया हैं कि स्व0 चुनी सिंह का देहान्त सम्वत् 2008 यानि वर्ष 1951 में हो चुका हैं। जबकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 को लागू हुआ हैं। इसलिये उक्त तनकी नं0 4 बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हैं।

विवादक संख्या पांचः–आया वादाधीन रकबा स्व0 श्री बन्नेसिंह की स्वअर्जित सम्पति थी, जिसकी वसीयत करने हेतु स्व0 बन्नेसिंह कानूनन हकदार था, दिनांक 10.10.2007 को प्रतिवादीगण 1 ता 6 के हक में निष्पादित वसीयत के फलस्वरूप वादीगण हक व हिस्सा पाने के हकदार नही हैं एवं वसीयत को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है?

इस विवादक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। चुंकि विवादक सं0 प्रथम व द्वितिय विरूद्व वादीगण निर्णित होनें पर स्वतः ही उक्त विवादक बहक प्रतिवादीगण निर्णित होता हैं। रही बात वसीयत की तो जमाबंदी में इन्तकाल नं0 712 से साबित हैं कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण को जरिये वसीयत प्राप्त हुई हैं। वादपत्र प्रस्तुत करते समय प्रतिवादीगण वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज थे। वसीयत निरस्त करवाने से पूर्व वादीगण कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही कर सकते हैं। वसीयत की वैद्यता जाचंने का अधिकार सिविल न्यायालय को हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RBJ 2018 Page 718 इस पर पूर्णतया लागू होती हैं। अतः विवादक संख्या 5 बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हैं।

.....लगातार 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

विवादक संख्या छः:– आया प्रतिवादी नं0 4 ता 6 ने अपना हिस्सा जरिये बैयनामा दिनांक 06.10.2017 को श्री राकेश, श्री सुरेश पि0 श्री अन्नाराम जाति जाट को बैय कर दी हैं, जिन्हे वादपत्र में पक्षकार नही बनाये जाने के कारण दावा वादीगण खारीज योग्य हैं?

इस विवादक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस विवादक को साबित करने के लिये बैयनामा दिनांक 06.10.2017 की प्रतिलिपि पेश की हैं। प्रतिवादी नं0 4 व 5 तथा मृतक देवी सिंह द्वारा अपना –2 हिस्सा वादपत्र पेश करने से पूर्व ही क्रेतागण श्री राकेश कुमार, श्री सुरेश सहारण पि0 अमराराम निवासी रतासर को बैचान कर चुके थे। जो कि उक्त वादपत्र में हितबद्व व आवश्यक पक्षकार थे। जिन्हे वादीगण द्वारा वादपत्र में पक्षकार नही बनाया गया हैं। इसलिये उक्त विवादक बहक प्रतिवादीगण निर्णित किया जाता हैं।

विवादक संख्या सातः– आया ग्राम रतासर खाता नं0 137 ख0न0 78,79,448 = 17.770 है0 में से 14.734 है0 में से अपना 1.265 है0 रकबा वादी गणेशसिंह जरिये वसीयत दिनांक 10.10.2007 द्वारा प्राप्त कर चुका हैं, अतः अब कोई हिस्सा वादीधीन भूमि में से पाने का वादी गणेशसिंह हकदार नही हैं?

इस विवादक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया हैं। अतः इस विवादक सं0 7 का निर्णय विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता हैं।

विवादक संख्या आठ :– आया अपने हिस्सा से अधिक भूमि को हस्तान्तरित किया जा सकता हैं?

इस विवादक को साबित करने का भार वादीगण पर था। विवादक सं0 प्रथम व द्वितिय विरूद्व वादीगण निर्णित होने पर स्वअर्जित सम्पति में पिता के जीवनकाल में हिस्सा नही मांगा जा सकता हैं। पिता अपने जीवनकाल में अपने हिस्से को बैचान कर सकता हैं। इसलिये यह विवादक विरूद्व वादीगण निर्णित किया जाता हैं।

अनुतोष :– वादीगण विवादक संख्या एक से तीन तक तथा आठ को साबित करने में असफल रहे है। अतः वादीगण कोई अनुतोंष पाने के हकदार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू होती हैं। इसलिये वादीगण का वादपत्र खारिज किया हम उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वादीगण का वादपत्र निराधार होने के कारण निरस्त फरमाया जाता हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली से नम्बर कम होकर दाखिल दफतर फरमाई जावें।

निर्णय सरे इजलाश सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:58 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस)
सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:परचा डिक्री:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बइजलाश:–श्रीमान भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस

प्रकरण सं0:–227 / 2017 दायरा दिनांक:–08.11.2017

1. गणेश सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. राम सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

............वादीगण

बनाम

1. सतपाल सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. हनुमान सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. चतर सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
4. रणजीत सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
5. महावीर सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रतासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
6. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 88–188–209 आरटीए मुकदमा नं0 227 वर्ष 2017 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री बाबूलाल चांडक व वकील प्रतिवादी नं0 1 ता 5 श्री राकेश सारस्वत व प्रतिवादी नं0 6 श्री तहसीलदार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती हैं कि:–

दावा वादीगण निराधार होने के कारण निरस्त फरमाया जाता हैं।

नोज.......... .... मुबलिग.......... ....बाबत.......... .... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह...... . ...फरदो की पालना ....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ......4/2026.......को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ